उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-17/2016/843/78-1-2016-25/2012टीसी-1

लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप सँख्या 1157/78-1-2012-127/2012 दिनांक 18 दिसम्बर 2012 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति, उ0प्र0-2012 के बिन्दु 4.7 में निहित व्यवस्था के अनुपालन में उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु एक नीति कार्यान्वयन इकाई (Project Implementation Unit) के गठन हेतु यूपीएलसी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

3- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के बिन्दु 3.4.1 में व्यवस्था है कि प्रदेश में यूपीएलसी द्वारा एक नीति कार्यान्वयन इकाई (Project Implementation Unit) का गठन किया जायेगा जिसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी रखे जायेंगे तथा बाहर से लिये गये परामर्शी (Consultants on outsourcing basis) होंगे जो 5 वर्षों की अवधि तक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति (Empowered Committee) को गतिविधियों के अनुश्रवण एवं उनकी जानकारी देने में सहायता करेंगे।

4- उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु गठित नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) की प्रमुख गतिविधियां (Key-Activities) निम्नवत् होंगी:-

- सम्भावित निवेशकों हेतु एस्कार्ट सेवायें (Escort Services to potential investors)।
- समस्त सूचना प्रौद्योगिकी निवेश/प्रस्तावों तथा परियोजना प्रस्तावकों हेतु एकल सम्पर्क स्रोत (Single Point of Contact)।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 का विपणन (marketing)।
- शासकीय प्राधिकारियों से समन्वयन (Liaison)।
- एकल खिड़की निस्तारण (Single Window Clearance) व्यवस्था का कार्यान्वयन।
- नीति कार्यान्वयन योजना में सहायता।
- उद्योगों तथा उद्योग-संघों से सम्बद्धता (Engagement with Industries and Industry Associations)।
- सशक्त समिति (Empowered Committee)) के लिए डैशबोर्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास।
- यथा-आवश्यकता, कार्यों की आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति पर निर्णय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त नीति के बिन्दु 3.4.2 एकल खिड़की निस्तारण सहायता (Single Window Clearance & Facilitation) में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में उद्यमियों (entrepreneurs) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को सांविधिक (statutory) मामलों के निस्तारण जैसे प्रदूषण नियंत्रण, फैक्ट्री एक्ट, दुकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान कानून, मजदूरी भुगतान कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदा श्रम कानून, विद्युत आवंटन इत्यादि में सक्रिय एवं प्रभावी सहायता/क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) का निम्नवत् गठन किया जाता हैः-

1	प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं राजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	विशेष सचिव, आईटी एवं एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी।	सदस्य सचिव

6- नीति कार्यान्वयन इकाई समयबद्ध रूप से अन्य अवरोधों के निवारण (clearing roadblock) में भी उत्तरदायी होगी। यदि समय-सीमा के भीतर समस्या का समाधान अथवा अवरोध का निवारण नहीं हो पाता है तो एक निश्चित अन्तराल के बाद प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृतियों की आवधिक समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।

7- यूपीएलसी द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप सँख्या-635/78-1-2013-132/2012 दिनांक 13 अगस्त, 2013 तथा कार्यालय-ज्ञाप सँख्या-1396/78-1-2013-132/2012 दिनांक 24 दिसम्बर 2013 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

जी0एस0 नवीन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2016/843(1)/78-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समिति के समस्त सदस्यगण।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लिमिटेड/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।